हिन्दी भाषा की मानकता को सिद्ध करनेवाले कारक

लतीफ़ अहमद बी.[1] & अमरीन एच.[2]

[1]सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग सेंट फ्रांसिस कॉलेज, कोरमंगला, बेंगलुरु

[2]छात्रा, बी.कॉम. (बी.डी.ए.), पंचम सेमेस्टर सेंट फ्रांसिस कॉलेज, कोरमंगला, बेंगलुरु

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18368536

ABSTRACT:

प्रस्तुत शोध आलेख हिन्दी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया और उसे स्थापित करने वाले प्रमुख कारकों का विश्लेषणात्मक अध्ययन है। इसमें विवेचन किया गया है कि कैसे 'खड़ी बोली' ने ऐतिहासिक विकास, व्याकरणिक स्थिरता और संवैधानिक संरक्षण प्राप्त कर एक मानक भाषा का रूप ग्रहण किया। आलेख में मानकता के अनिवार्य तत्वों—जैसे ऐतिहासिकता, संहिताकरण, जीवंतता और स्वायत्तता—पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और कामता प्रसाद गुरु जैसे विद्वानों तथा केंद्रीय हिंदी निदेशालय की भूमिका को रेखांकित किया गया है। निष्कर्षतः, यह अध्ययन सिद्ध करता है कि मानकीकरण केवल भाषाई शुद्धि नहीं, बल्कि एक सामाजिक और प्रशासनिक अनिवार्यता है जो हिन्दी को वैश्विक पटल पर प्रतिष्ठित करती है।

KEYWORDS:

मानक हिन्दी, मानकीकरण, खड़ी बोली, संहिताकरण, देवनागरी लिपि.

भूमिका

भाषा एक जैविक इकाई है जो समय के साथ परिवर्तित और परिमार्जित होती रहती है। भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि संस्कृति और अस्मिता की संवाहिका भी है। जब कोई बोली (Dialect) अपने स्थानीय क्षेत्र से निकलकर प्रशासन, शिक्षा और साहित्य का माध्यम बनती है, तो उसे 'मानक' बनने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। हिन्दी के संदर्भ में यह प्रक्रिया विशेष रूप से रोचक है क्योंकि इसमें 'खड़ी बोली' ने ब्रज और अवधी जैसी समृद्ध बोलियों को पीछे छोड़कर यह स्थान प्राप्त किया है।

प्रस्तुत शोध लेख हिन्दी भाषा के मानकीकरण (Standardization) की प्रक्रिया और उन अनिवार्य कारकों का गहन विश्लेषण करता है जो किसी बोली को एक परिष्कृत 'मानक भाषा' के रूप में स्थापित करते हैं। मानकीकरण की प्रक्रिया केवल व्याकरणिक शुद्धि और भाषाई नियमों तक ही सीमित नहीं, बल्कि यह एक सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक प्रक्रिया है। लेख का मुख्य उद्देश्य उन तत्वों की पहचान करना है जो हिन्दी को व्याकरणिक स्थिरता, वर्तनीगत एकरूपता और वैश्विक स्वीकार्यता प्रदान करते हैं।

मानकीकरण का अर्थ और परिभाषा

मानक भाषा (Standard Language) वह भाषा रूप है जो शिक्षित समाज द्वारा स्वीकृत हो, जिसका प्रयोग प्रशासन, शिक्षा और साहित्य में किया जाए। डॉ. भोलानाथ तिवारी के अनुसार, "किसी भाषा का वह परिनिष्ठित रूप जो उस भाषा-भाषी क्षेत्र के सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा पत्राचार, शिक्षा और सार्वजनिक कार्यों में प्रयुक्त होता है, वही मानक भाषा कहलाती है"[1]।

मानकता को सिद्ध करनेवाले प्रमुख कारक

भाषा की मानकता किसी एक तत्व पर निर्भर नहीं होती, बल्कि इसके पीछे कई कारकों का समूह कार्य करता है:

ऐतिहासिकता

किसी भी मानक भाषा के पीछे एक समृद्ध इतिहास और साहित्य की परंपरा होती है। हिन्दी के संदर्भ में 'खड़ी बोली' का विकास और उसका ब्रज तथा अवधी से आगे निकलकर मानक रूप ग्रहण करना ऐतिहासिक अनिवार्यता थी। 1800 ई. में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के साथ हिन्दी गद्य के मानकीकरण की नींव पड़ी। श्री लल्लू लाल, सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खान और सदासुखलाल जैसे विद्वानों ने खड़ी बोली को साहित्यिक रूप प्रदान किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 'सरस्वती' पत्रिका के माध्यम से भाषाई अराजकता को समाप्त कर व्याकरणिक अनुशासन स्थापित किया[2]।

संहिताकरण या कोडबद्धता

संहिताकरण का अर्थ है नियमों को लिपिबद्ध करना। जब तक किसी भाषा का व्याकरण और शब्दकोश निश्चित नहीं होता, वह मानक नहीं कहला सकती। यह मानकता का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। एक मानक भाषा को आधुनिक ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्रों में सक्षम होना चाहिए। हिन्दी ने तकनीकी, विधिक और वैज्ञानिक शब्दावली का निर्माण कर

अपनी जीवंतता को सिद्ध किया है। उदाहरण के तौर पर, 'अभियंता' (Engineer) या 'संगणक' (Computer) जैसे शब्दों का मानक प्रयोग इसकी सक्षमता दर्शाता है।

व्याकरणिक स्थिरता

किसी भी भाषा की मानकता उसके व्याकरण की कठोरता और स्पष्टता से सिद्ध होती है। आचार्य कामता प्रसाद गुरु ने 'हिन्दी व्याकरण' लिखकर उन नियमों को संहिताबद्ध किया जिन्हें आज भी आधार माना जाता है। लिंग, वचन, कारक और काल के नियमों में एकरूपता ही हिन्दी को 'मानक' बनाती है[3]।

शब्दकोश निर्माण

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन 'केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय' ने वर्तनी के जो नियम निर्धारित किए हैं, वे मानकता को सिद्ध करने वाले आधिकारिक साक्ष्य हैं। जैसे:

- संयुक्त वर्णों का लेखन: 'विद्या' के स्थान पर 'विद्या' (द+य का स्पष्ट प्रयोग) को प्राथमिकता।
- हलंत का प्रयोग: शुद्ध तत्सम शब्दों में आवश्यकतानुसार हलंत का प्रयोग (जैसे- महान्, विद्वान्)।
- ब्दों के अर्थ और वर्तनी को निश्चित करना।

लिपि और वर्तनी का मानकीकरण

देवनागरी लिपि के वर्णों का एक निश्चित स्वरूप तय करना और देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता हिन्दी की मानकता को सुदृढ़ करती है। एक ध्वनि के लिए एक वर्ण का होना इसे विश्व की सबसे वैज्ञानिक लिपियों में शामिल करता है। इसके मानक स्वरूप में वर्णों की बनावट (जैसे 'झ', 'ल', 'अ' के मानक रूप) को स्थिर किया गया है[4]।

- अनुस्वार का प्रयोग: मानक हिन्दी में पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार (ं) का प्रयोग अनिवार्य किया गया है (जैसे 'गंगा' न कि 'गङ्गा')[5]।
- कारक चिह्न: संज्ञा के साथ कारक चिह्न अलग लिखे जाते हैं (राम ने), जबकि सर्वनाम के साथ जोड़कर (उसने)।
- व्याकरणिक नियम: कामता प्रसाद गुरु और किशोरीदास वाजपेयी जैसे विद्वानों ने हिन्दी के कारक, लिंग और क्रिया नियमों को संहिताबद्ध किया।
- वर्तनी मानक: केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने 'अ' से लेकर 'ज्ञ' तक के वर्णों के लेखन और संयुक्त अक्षरों के प्रयोग को निश्चित किया है[6]।

जीवंतता और अनुकूलनशीलता

एक मानक भाषा वह है जो समय के साथ नए वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों को आत्मसात कर सके। आज हिन्दी में 'कंप्यूटर', 'इंटरनेट' और 'सॉफ्टवेयर' जैसे शब्दों का मानक प्रयोग इसकी जीवंतता को सिद्ध करता है।

स्वायत्तता

मानक भाषा की अपनी स्वतंत्र पहचान होती है। वह किसी दूसरी भाषा की उप-बोली (Dialect) के रूप में नहीं पहचानी जाती, बल्कि उसका अपना स्वतंत्र व्याकरण और शब्द-भंडार होता है।

सामाजिक स्वीकृति

मानकता का एक बड़ा कारक 'लोक-स्वीकृति' है। समाचार पत्रों (जैसे दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स), आकाशवाणी, और दूरदर्शन ने जिस परिष्कृत हिन्दी का प्रयोग किया, उसने आम जनमानस के बीच एक 'मानक छवि' निर्मित की।

प्रशासनिक और संवैधानिक स्वीकृति

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 हिन्दी को संघ की राजभाषा घोषित करता है। यह संवैधानिक दर्जा इसे प्रशासनिक मानकता प्रदान करता है। जब कोई भाषा राजकाज की भाषा बनती है, तो उसकी शब्दावली का मानकीकरण स्वतः होने लगता है[7]।

मानकीकरण की प्रक्रिया के सोपान

प्रसिद्ध भाषाविद Haugen के अनुसार मानकीकरण के चार चरण होते हैं जो हिन्दी पर भी लागू होते हैं:

चरण	विवरण	हिन्दी के संदर्भ में उदाहरण
चयन (Selection)	बोलियों में से एक का चुनाव	खड़ी बोली का चुनाव
संहिताकरण (Codification)	नियम बनाना	कामता प्रसाद गुरु का व्याकरण8
प्रसार (Elaboration)	कार्यक्षेत्र का विस्तार	राजभाषा और शिक्षा में प्रयोग
स्वीकृति (Acceptance)	समाज द्वारा अपनाना	सार्वभौमिक स्वीकार्यता

मानकता के भाषाई और सामाजिक आधार

भाषा की मानकता केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं होती, इसे सिद्ध करने के लिए सामाजिक प्रतिष्ठा (Prestige) आवश्यक है।

- प्रशासनिक कारक: सरकारी गजट, न्यायालयों और कार्यालयों में जिस भाषा का प्रयोग होता है, वह स्वतः मानक मान ली जाती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 हिन्दी को यह आधार प्रदान करता है[9]।
- शैक्षिक कारक: पाठ्यपुस्तकों की भाषा मानकता का सबसे बड़ा पैमाना है।
- तकनीकी कारक: वर्तमान में यूनिकोड (Unicode) और डिजिटल फॉन्ट्स ने हिन्दी की मानकता को वैश्विक पटल पर सिद्ध किया है।

मानकीकरण की वर्तमान चुनौतियाँ

आज के युग में सोशल मीडिया और डिजिटल संचार ने मानकता के सामने चुनौतियाँ पेश की हैं। 'हिंग्लिश' का बढ़ता प्रयोग भाषा की शुद्धता को प्रभावित कर रहा है। हालाँकि, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय इन विभिन्नताओं को दूर कर एकरूपता लाने का प्रयास कर रहा है और 'यूनिकोड' के विकास ने हिन्दी को तकनीक-सम्मत बनाकर इसकी वैश्विक मानकता को और अधिक सुदृढ़ किया है।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः, उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि हिन्दी भाषा की मानकता केवल व्याकरणिक शुद्धि नहीं, बल्कि ऐतिहासिक गौरव, सामाजिक स्वीकृति और संवैधानिक संरक्षण का परिणाम है। मानकता एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। भाषा को अपनी जड़ें सुरक्षित रखते हुए आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार स्वयं को ढालना होगा, तभी इसकी मानकता अक्षुण्ण रह पाएगी। हिन्दी भाषा की मानकता उसके व्याकरणिक अनुशासन, समृद्ध शब्दकोश और करोड़ों प्रयोक्ताओं की स्वीकृति पर टिकी है। ऐतिहासिकता, स्वायत्तता और जीवंतता वे कारक हैं जो इसे केवल एक बोली न रखकर एक वैश्विक 'मानक भाषा' के रूप में स्थापित करते हैं।

पाद टिप्पणियाँ:

1. भोलानाथ तिवारी, 'हिन्दी भाषा का इतिहास', लिपि प्रकाशन, दिल्ली, पृष्ठ 112
2. महावीर प्रसाद द्विवेदी, 'सरस्वती' (संपादकीय लेख), 1903-1920 के दौरान प्रकाशित विभिन्न लेख।
3. कामता प्रसाद गुरु, 'हिन्दी व्याकरण', नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी, संस्करण 1920 (भूमिका अंश)।
4. धीरेन्द्र वर्मा, 'हिन्दी भाषा का इतिहास', हिन्दुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, पृष्ठ 45-50
5. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, 'देवनागरी लिपि तथा हिन्दी वर्तनी का मानकीकरण', शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, 1983
6. बाहरी, हरदेव, 'मानक हिन्दी व्याकरण', लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद।
7. भारतीय संविधान, अनुच्छेद 343-351, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार।
8. कामता प्रसाद गुरु, 'हिन्दी व्याकरण', नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी (यह हिन्दी व्याकरण का सबसे प्रमाणिक आधार माना जाता है)।
9. भारतीय संविधान, 'राजभाषा खंड-17, अनुच्छेद 343-351', भारत सरकार का आधिकारिक प्रकाशन।

Funding:

This study was not funded by any grant.

Conflict of interest:

The Authors have no conflict of interest to declare that they are relevant to the content of this article.

About the License:

© The Authors 2024. The text of this article is open access and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.